

वलिप्त होने की कगार पर सोन चरिया

चर्चा में क्यों?

आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट (Red List) के अनुसार, वर्ष 1969 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की आबादी लगभग 1,260 थी और वर्तमान में देश के पाँच राज्यों में मात्र 150 सोन चरिया हैं। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII) के ताज़ा शोध में यह बात सामने आई है।

//

सोन चरिया

- बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि एक समय सोन चरिया भारत की राष्ट्रीय पक्षी घोषित होते-होते रह गई थी।
- जब भारत के 'राष्ट्रीय पक्षी' के नाम पर विचार किया जा रहा था, तब 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' का नाम भी प्रस्तावित किया गया था जिसका समर्थन प्रख्यात भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने किया था। लेकिन 'बस्टर्ड' शब्द के गलत उच्चारण की आशंका के कारण 'भारतीय मोर' को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया था।
- सोन चरिया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (great Indian bustard) के नाम से भी जाना जाता है, आज वलिप्त होने की कगार पर है। शिकार, बजिली की लाइनों (power lines) आदि के कारण इसकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है।

परिचय

- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' भारत और पाकिस्तान की भूमि पर पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है। यह विश्व में पाए जाने वाली सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' को भारतीय चरागाहों की पताका प्रजाति (Flagship species) के रूप में जाना जाता है।
- इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम आर्डीओटिस नाइग्रिसेप्स (Ardeotis nigriceps) है, जबकि भल्लूक, घोराड येरभूत, गोडावण, तुकदार, सोन चरिया आदि इसके प्रचलित स्थानीय नाम हैं।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, जहाँ इसे गोडावण नाम से भी जाना जाता है।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की जनसंख्या में अभूतपूर्व कमी के कारण अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ने इसे संकटग्रस्त प्रजातियों में भी 'गंभीर संकटग्रस्त' (Critically

Endangered) प्रजाति के तहत सूचीबद्ध किया है।

वर्षिताएँ

- एक वयस्क सोन चरिया की ऊँचाई करीब एक मीटर तक होती है। नर पक्षी की ऊँचाई मादा पक्षी के मुकाबले अधिक होती है।
- नर पक्षी की गर्दन लंबी होती है तथा उसमें पाउच जैसी एक थैली होती है जिससे वह प्रणय के लिये भारी आवाजें निकाल कर मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है।
- नर और मादा दोनों हल्के भूरे रंग के होते हैं। इनके शरीर पर काले छीट नुमा निशान होते हैं।
- नर के सर पर मौजूद कलगी के कारण दूर से ही इसकी पहचान हो जाती है।
- सोन चरिया ज़मीन पर ही अपना घोंसला बनाती है, यही वजह है कि कुत्तों तथा दूसरे अन्य जानवरों से इसके अण्डों को खतरा होता है।

वलिपुता का कारण क्या है?

- प्रश्न यह उठता है कि यदि वर्ष 1969 में सोन चरिया की 1000 से भी अधिक संख्या मौजूद थी, तो 1969 के बाद ऐसा क्या बदल गया कि आज यह प्रजाति वलिपुत होने के कगार पर है। संभवतः शिकार एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पछिले कुछ दशकों में इस प्रजाति की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
- भारतीय सीमा से सटे पाकस्तानी क्षेत्रों में सोन चरिया का शिकार माँस प्राप्त करने के लिये किया जाता है। लंबे क्षेत्र में वचरण करने की प्रवृत्ति के कारण अक्सर सोन चरिया पाकस्तानी क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाती है, जहाँ उसे शिकारी अपना निशाना बनाते हैं। भारत में सोन चरिया को WII की श्रेणी 1 के संरक्षण वन्य प्राणियों में शामिल किया गया है और इसके शिकार पर पूर्णतः पाबंदी है।
- वर्तमान समय में यह संकट इसलिये भी गहरा गया है कि घटते मैदान तथा रेगस्तान में बेहतर सचिाई व्यवस्था न होने के कारण इनके प्राकृतिक निवास यानी घास के मैदान कम होते जा रहे हैं।
- सोन चरिया की सीधे देखने की क्षमता (poor frontal vision) का कम होना और भारी शरीर इसके लिये घातक साबित हुए हैं। सीधे देखने की क्षमता कम होने के कारण ये बजिली के तारों से टकरा जाती है। यही कारण है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा सोन चरिया के संरक्षण के लिये इसके वास स्थलों के समीप मौजूद बजिली लाइनों को भूमिगत करने का वचिार प्रस्तुत किया है।
- साथ ही इसके निवास स्थानों को कई हसिसों में बाँटकर अंडों को संरक्षण कर इनके सुरक्षण प्रजनन के संबंध में भी संस्तुत की है। गौरतलब है कि एक मादा बस्टर्ड एक मौसम में केवल एक ही अंडा देती है। यदि ऐसे वैज्ञानिक तरीके वकिसति कर लिये जाएँ जिनसे वह एक बार में ही कई अंडे देने में सक्षम हो तो यह इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण साबित होगा।

स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि तीन गैर-लाभकारी संगठनों - कॉर्बेट फाउंडेशन (Corbett Foundation), कंज़र्वेशन इंडिया (Conservation India) और अभयारण्य नेचर फाउंडेशन (Sanctuary Nature Foundation) ने एक ऑनलाइन याचिका (6,000 से भी अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षरित) शुरू की है। इस याचिका के माध्यम से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सहि से बजिली लाइनों को भूमिगत किये जाने की मांग की गई है।